

जे.पी.आर.5-838

विद्युत पैकेज संख्या-4 व 6 दिनांक 18.02.2017



जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)

कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर-302005
फोन नं0 - 0141-2747041, फैक्स नं0 - 0141-2744803
ईमेल - se_comml@yahoo.in

क्र0 जेपीडी/अधी.अ. (वा.)/सी-1/एफ.

/प्रे0 2586

जयपुर, दिनांक-20.02.2017

आदेश

विषय:- मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच के सम्बन्ध में।

मीटर श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं के भार की जाँच की साधारणतया आवश्यकता नहीं है। कई उपभोक्ताओं के मीटर खराब होने पर फ्लैट रेट के अनुसार बिलिंग की जाती है। ऐसे मामलों में यह निर्देशित किया जाता है कि मीटर खराब होने की स्थिति में भार की जाँच की जावे एवं उपभोक्ता को एक माह का नोटिस देकर उपभोक्ता द्वारा नोटिस का उत्तर मिलने के पश्चात् या 30 दिन बाद ही भार बढ़ाने की नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

जिन उपभोक्ताओं की जाँच किये बिना अथवा उपभोक्ता के आवेदन किये बिना ही बढे हुये भार की बिलिंग की जा रही है। ऐसे प्रकरण में पूर्व में स्वीकृत भार के अनुसार ही बिल जारी किये जावे। विवाद की स्थिति में समझौता समिति के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

आज्ञा से

(के.के. पुरोहित)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)